# न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

**पीठासीन अधिकारी : नवनीत कुमार**
**नियम 22(3) प्रार्थना पत्र संख्या : 01/2024**

श्री चतरसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह राजपूत निवासी सिन्दूका तहसील कोलायत, जिला बीकानेर — प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री रेशमाराम पुत्र श्री बलवन्ताराम बिश्नोई निवासी बज्जू, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मुकाम कोलायत

— अप्रार्थीगण

उपस्थिति :

1. श्री सुरेश कुमार बालेचा — प्रार्थी वकील
2. श्री हरिराम बिश्नोई एवं श्री ओमप्रकाश भादाणी — अप्रार्थीगण वकील
3. श्री मोतीलाल — पैरोकार राज

## *निर्णय*

दिनांक :— 03—06—2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि श्री प्रार्थी श्री चतरसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह राजपूत निवासी सिन्दूका, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र नियम 22(3) के अन्तर्गत दिनांक 21—08—2024 को इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम सिन्दुका पाबूसर की रोही में खेत खसरा नम्बर 123/1 की 21—00 बीघा बारानी राजकीय भूमि गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके टी0सी0 से पुख्ता आवंटन करवा लिया है जो गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम सिन्दुका का कभी निवासी नहीं रहा। अप्रार्थी मूल रूप से ग्राम बज्जू खालसा का निवासी है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपने मूल ग्राम बज्जू खालसा की रोही में टी0सी0 का आवंटन नहीं किया गया क्योंकि अप्रार्थी के हिस्से में अधिक भूमि आती है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अपने हिस्से की भूमि को छिपाकर ग्राम सिन्दुका की रोही में गलत तरीके से टी0सी0 आवंटन करवाकर राज्य सरकार को हानि पहुंचाई है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री बलवन्ताराम के नाम ग्राम बज्जू की रोही में व ग्राम बीठनोक की रोही में कृषि भूमि स्थित है जिसमें अप्रार्थी के हिस्से में 27—00 बीघा व चक नम्बर 4 बीजेएम में 14—00 बीघा कमाण्ड व 5—00 बीघा अनकमाण्ड तथा चक 6 बीजेएम में 2—00 बीघा कमाण्ड भूमि आती है। इन तथ्यों एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पात्रता की जांच किये बिना ही सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा दिनांक 29—09—2007 को टी0सी0 से पुख्ता आवंटन किया गया है। साथ ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया कि उक्त भूमि पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम से आवंटन था जो कि आवंटन की शर्त पूर्ण नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया गया था, वही रकबा सीधे ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम टी0सी0 आवंटन बालिग पुत्र मानकर गलत तरीके से कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में बिना साक्ष्य सबूतों के अभाव में तथ्य छिपाकर गलत तरीके से करवाये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता तथा राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 25–06–2025 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का खेत पडोसी है व दुर्भावना रखता है। इस कारण उक्त झूठा प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 को ख0नं0 123/1 में दिनांक 27–05–1977 को अस्थाई आवंटन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया न ही कोई कूटरचित दस्तजावेज प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुख्ता आवंटन से पूर्व आवंटन नियम, 1975 के नियम 11 के तहत फॉटोफार्म जारी करके उपनिवेशन तहसील, कोलायत से सम्पूर्ण जानकारी मंगवाई जाने के बाद ही आवंटन सलाहकार समिति की राय से पुख्ता आवंटन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में चक 7 बीजेएम व 4 बीजेएम में मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार 1–00 बीघा कमाण्ड भूमि आती है व पटवार हलका बांगडसर की रिपोर्ट अनुसार 9–00 बीघा बारानी भूमि हिस्सा में आती है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 को 21–00 बीघा बारानी भूमि आवंटन का पात्र घोषित किया गया है जो सही है। इसके साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दिनांक 31–07–1981 को अप्रार्थी संख्या 1 का अस्थाई आवंटन ग्राम सिन्दुका पाबूसर का निवासी नहीं होने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपील की गयी जो स्वीकार करते हुए रिमाण्ड करने पर पत्रावली दिनांक 31–12–1981 को पेशी में लीये जाने पर बयान अप्रार्थी संख्या 1 व सरपंच, ग्राम पंचायत सुरजडा के तस्दीक उपरान्त पुनः दिनांक 18–01–1982 को नवीनीकरण को स्वीकार किया गया। प्रार्थी अस्थाई आवंटन की शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 7 के सबक्लॉज (iii) के अनुसार आवंटन करवाने का पात्र था व है। उक्तानुसार जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कथनों के आधार पर प्रकरण में निम्न विचारणीय विवाधक तय किये गये :–

1. आया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पाबूसर सिन्दुका में किया गया 21–00 बीघा बारानी भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के पाबूसर सिन्दुका का मूल निवासी नहीं होने के आधार पर विधि विरूद्ध आवंटन की श्रेणी में आता है।

——— जिम्मे प्रार्थी

2. आया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा हस्तगत आवंटन पुश्तैनी भूमि को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर करवाया होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है।

——— जिम्मे प्रार्थी

3. आया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि पूर्व में उसके पिता के नाम से आवंटित थी जिसे अप्रार्थी संख्या 1 को बालिग पुत्र के रूप में गलत तरीके से आवंटित किये जाने से आवंटन निरस्त योग्य है।

——— जिम्मे प्रार्थी

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान 22(3) के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम को दिनांक 29–09–2007 को पाबूसर सिन्दुका के खसरा नम्बर 123/1 में 21–00 बीघा बारानी भूमि टी0सी0 से पुख्ता आवंटन की गयी है वह नियम विरूद्ध की गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम ने पूर्व में स्वयं को बज्जू खालसा का निवासी बताया था। पटवारी एवं निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम के पिता का नाम बज्जू की निर्वाचन सूची में है, अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम पाबूसर सिन्दुका का निवासी नहीं है, वह ग्राम बज्जू खालसा का मूल निवासी है। टी0सी0 से पुख्ता आवंटन हेतु आवंटी का उसी ग्राम का होना आवश्यक होता है। अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम बज्जू खालसा का मूल निवासी है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। तहसीलदार की आदेशिका दिनांक 17–07–1980 में पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के बज्जू के मूल निवासी होने के उपरान्त भी ग्राम पाबूसर सिन्दुका में खसरा नम्बर 123 में 21–00 बीघा बारानी रकबे का विक्रम संवत 2031 के लिए नवीनीकरण किया गया है जबकि टी0सी0 नवीनीकरण करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 के पाबूसर सिन्दुका के निवासी नहीं होने के कारण टीसी नवीनीकरण का निर्धारण किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। इसके उपरान्त उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत–1 की आदेशिका दिनांक 31–07–1981 को अप्रार्थी संख्या 1 के पाबूसर सिन्दुका के निवासी नहीं होने का मानते हुए वि0सं0 2038 के लिए नवीनीकरण अस्वीकृत किया गया व कब्जा बहक सरकार के आदेश दिये गये। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा दिनांक 13–11–1981 को प्रकरण रिमाण्ड कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया था। उक्त निर्णय स्पष्ट पठनीय नहीं है। अतः संदेह है कि यह निर्णय हुआ है या नहीं ? उक्त निर्णय पत्रावली भी उपनिवेशन अभिलेखागार में नहीं मिल रही जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा कि उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का उक्त निर्णय हुआ है क्या ? अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम ने दिनांक 18–01–1982 को बयान गवाह दिये कि वह 20–25 वर्ष से पाबूसर सिन्दुका में निवास करता है व स्वयं की उम्र 30 वर्ष बताई है। अतः क्या यह संभव हो सकता है कि क्या 5–6 वर्ष का बालक अकेले निवास कर सकता है ? अतः अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम के पाबूसर सिन्दुका के मूल निवासी नहीं होने के कारण 22(3) का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम को पाबूसर सिन्दुका में खसरा नम्बर 123/1 में 21–00 बीघा बारानी भूमि को निरस्त करवाने की व्यवस्था फरमावे।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि Rajasthan Colonisation (Temporary Cultivation Leases) conditions, 1955 की शर्त 7(iii) के अनुसार उस ग्राम के कृषक का आवेदन पत्र शेष नहीं होने पर उसी तहसील के अन्य आवेदन पत्र की पात्रता होती है परन्तु उस ग्राम के कृषकों के आवेदन पत्र लम्बित थे फिर भी श्री रेशमाराम को अस्थाई आवंटन किया गया। राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के तहत कोई भी व्यक्ति नियम विरूद्ध आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने बहस के दौरान 22(3) के प्रार्थना पत्र व एकतरफा दिये गये स्थगन आदेश पर बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम ग्राम पाबूसर सिन्दुका में ख0नं0 123/1 में 21–00 बीघा बारानी भूमि पर न्यायालय द्वारा दिनांक 22–08–2024 को एकतरफा तौर पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है।

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त भूमि अप्रार्थी की सन 1977 से अस्थाई आवंटन होकर वर्ष 2007 में पुख्ता आवंटन हुई है। इस प्रकार उक्त आवंटन को 47 वर्ष पूर्ण हो चुके है। खातेदारी हो चुकी है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है फिर भी न्यायालय द्वारा एकतरफा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया। उक्त स्थगन की आड में पुलिसथाना, गजनेर द्वारा अप्रार्थी को प्रताडित किया जा रहा है जिससे अप्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है जिसकी क्षतिपूर्ति होना असंभव है। प्रार्थी श्री चतरसिंह जागरूक नागरिक नहीं है व अप्रार्थी का खेत पडोसी है व दुर्भावना रखता है, इसी कारण उक्त झूठा प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के खिलाफ न्यायालय में प्रस्तुत किया है, झूठे मुकदमेबाजी करता है। अप्रार्थी को किया गया बारानी आवंटन पूर्व में दिनांक 27–05–1977 से अस्थाई आवंटन हुआ जिसका नवीनीकरण प्रतिवर्ष पुख्ता होने तक लगातार होता रहा है। अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य छिपाये नहीं है। सही तथ्य वर्णित करके अस्थाई आवंटन करवाया गया है, कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी को अस्थाई से पुख्ता आवंटन करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 11 के तहत अप्रार्थी का फोटोफार्म जारी करके तहसील उपनिवेशन, कोलायत से सम्पूर्ण जानकारी मंगवाई जाने के बाद ही आवंटन सलाहकार समिति की राय से पुख्ता आवंटन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई भूमि नहीं छिपाई है। अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में चक नम्बर 7 बीजीएम व 4 बीजीएम में मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व पटवारी हलका के अनुसार 1–00 बीघा कमाण्ड भूमि आती है व पटवार हलका बांगडसर की रिपोर्ट के मुताबिक 9–00 बीघा बारानी भूमि हिस्से में आती है। इस प्रकार अप्रार्थी को 10–10 बीघा कमाण्ड या 21–00 बीघा बारानी भूमि का पात्र घोषित किया गया जो सही–सही किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न तो झूठा शपथ पत्र दिया गया है व ना ही तथ्य छिपाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने सम्पूर्ण हिस्सा पांती में आने वाली समस्त भूमि की रिपोर्ट तहसीलदार उपनिवेशन, कोलायत–2 दिनांक 17–08–2007 को प्रस्तुत कर रखी है। आवंटन अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जांच करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई आवंटन किया गया था। मुताबिक सरपंच प्रमाण पत्र अप्रार्थी संख्या 1 पाबूसर सिन्दुका में निवास करता आ रहा था व कानूनन ऐसी कोई अस्थाई आवंटन पर रोक भी नहीं है क्योंकि प्राथमिकता के अनुसार अस्थाई आवंटन किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 को टीसी से पुख्ता आवंटन नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया है। उक्त अस्थाई आवंटन समस्त जांच रिपोर्ट के बाद किया गया है। कोई कूटरचित तथ्यों के आधार पर आवंटन नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई धन–बल के आधार पर आवंटन नहीं करवाया है व ना ही राजकोष को कोई हानि पहुंचाई है, वरवक्त पुख्ता आवंटन नियमानुसार आवंटन राशि जरिये चालान जमा करवा दी गयी है। उक्त पुख्ता आवंटन किसी भी प्रकार से नियम विरूद्ध नहीं किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वर्ष 1977 में अस्थाई आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 को पटवार हलका द्वारा रिपोर्ट करने पर पाबूसर सिन्दुका के ख0नं0 123 में 25–00 बीघा एक साला आवंटन की गई जो सन 1980 तक अस्थाई आवंटन का नवीनीकरण होता रहा। पुनः सम्पूर्ण भूमि की रिपोर्ट लेने पर अप्रार्थी संख्या 1 को 21–00 बीघा बारानी भूमि का पात्र घोषित किया गया जिसका नवीनीकरण दिनांक 14–07–1980 को किया गया। दिनांक 31–07–1981 को अप्रार्थी संख्या 1 का अस्थाई आवंटन इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 पाबूसर सिन्दुका का मूल निवासी नहीं है। उक्त आदेश की

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपील करने पर न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया गया। उक्त रिमाण्ड पत्रावली को पुनः पेशी में दिनांक 31–12–1981 को पेशी में ली गई। प्रकरण में बयान अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 1 के पाबूसर सिन्दुका में निवास करने के संबंध में सरपंच, ग्राम पंचायत सूरजडा, तहसील कोलायत का प्रमाण पत्र लिया जाकर अप्राथी संख्या 1 के पक्ष में पुनः नवीनीकरण दिनांक 18–01–1982 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा यह कहना कि अप्रार्थी संख्या 1 पाबूसर का निवासी नहीं है, गलत है। कानून अस्थाई आवंटन की शर्त, 1955 की शर्त संख्या 7 के सबक्लॉज (iii) के मुताबिक हर प्रकार से आवंटन करवाने का पात्र था व है। किसी भी प्रकार से नियम विरूद्ध आवंटन नहीं किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन हर प्रकार से नियमों के मुताबिक अस्थाई आवंटन व अस्थाई के बाद पुख्ता आवंटन नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया है जो कानूनन सही है। प्रार्थी उक्त खसरा 123 में जो शेष सरकारी कृषि भूमि है, उस पर अतिक्रमण करके काबिज है व अप्रार्थी संख्या 1 पर दबाव बनाता है कि मेरी अतिक्रमण की शिकायत नहीं करें। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा झूठा शपथ पत्र शिकायत का अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आवंटन पहले अस्थाई आवंटन शर्त के मुताबिक वर्ष 1977 में व सन 2007 में पुख्ता आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति में किया गया है व उक्त आवंटन हुए 47–48 वर्ष हो चुके है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि 3–4 दशक बाद आवंटन खारिज नहीं करना चाहिए। उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

इस संबंध में वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि वकील प्रार्थी पाबूसर सिन्दुका के निवासी से संबंधित कोई आवेदन पत्र शेष है, तो बतावे। इस पर पूर्व में ही उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत–1 द्वारा निर्णय लिया जा चुका है व अप्रार्थी को किया गया टीसी से पुख्ता आवंटन का इतने वर्षों बाद 22(3) का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है।

पैरोकार राज सरकार ने वरवक्त बहस के दौरान अप्रार्थी के अभिभाषक के कथनों से सहमत होते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा दिनांक 29–09–2007 को अस्थाई से पुख्ता आवंटन को नियम 22(3) के तहत खारिज करना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक एवं पैरोकार राज की बहस एवं समस्त तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा बहस के दौरान उभयपक्ष द्वारा किये गये कथनों के आधार पर प्रकरण में तय किये गये विवाधकों की विवेचना निम्नानुसार हैं :–

**1. आया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पाबूसर सिन्दुका में किया गया 21–00 बीघा बारानी भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के पाबूसर सिन्दुका का मूल निवासी नहीं होने के आधार पर विधि विरूद्ध आवंटन की श्रेणी में आता है।**

जिम्मे प्रार्थी

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner

इस विवाधक को साबित किये जाने का भार प्रार्थी के जिम्मे था। प्रार्थी की ओर अप्रार्थी संख्या 1 रेशमाराम के आवंटन के समय पाबूसर सिन्दुका का निवासी न होकर बज्जु खालसा का निवासी होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा केवल अपने प्रार्थना पत्र में इस संबंध कथन मात्र ही किया गया है। प्रकरण में इस बिन्दु पर अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया अस्थाई आवंटन दिनांक 31–07–1981 उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं0 1 द्वारा अस्वीकृत किया गया जिसकी अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा निर्णय दिनांक 13–11–1981 से प्रकरण में अस्थाई आवंटन निरस्त किये जाने के आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं0 1 को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया गया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः परीक्षण कर निर्णय लिया जावे। उक्त रिमाण्ड प्रकरण में उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं0 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के बयान तथा सरपंच, ग्राम पंचायत, सुरजडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के ग्राम पाबूसर में निवास करने के प्रमाण पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को पुनः अस्थाई आवंटन का पात्र पाते हुए अस्थाई आवंटन का नवीनीकरण किया गया। प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत, सुरजडा द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम पुत्र श्री बलवन्ताराम के ग्राम पाबूसर में 20 वर्ष से लगातार आबाद होने तथा इनकी 20 वर्ष पुरानी ढाणी बने होने का कथन किया है। उपरोक्त से अप्रार्थी संख्या 1 के ग्राम पाबूसर सिन्दुका का निवासी होना प्रमाणित होता है। Rajasthan colonisation (Temporary Cultivation Leases) Conditions, 1955 की शर्त संख्या 7 (iii) में जिस ग्राम में भूमि आवंटन की जा रही है, से भिन्न ग्राम के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित किये जाने की प्राथमिकता प्राविधित की गयी है। हस्तगत प्रकरण में भूमि का आवंटन ग्राम पाबूसर सिन्दुका में किया गया है। यदि प्रार्थी के आरोप को सत्य भी मान लिया जाये कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पाबूसर सिन्दुका का निवासी न होकर ग्राम बज्जू खालसा का निवासी है, तो भी अप्रार्थी संख्या 1 उक्त शर्त संख्या 7(iii) के अन्तर्गत आवंटन की प्राथमिकता रखता है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त विवाधक को साबित करने में असफल रहा है।

**2. आया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा हस्तगत आवंटन पुश्तैनी भूमि को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर करवाया होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है।**

**—— जिम्मे प्रार्थी**

इस विवाधक को साबित किये जाने का भार प्रार्थी के जिम्मे था। प्रार्थी की ओर अप्रार्थी संख्या 1 रेशमाराम के आवंटन के समय पुश्तैनी भूमि को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर करवाया होने के कारण आवंटन के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबन्दी संवत 2078 (वर्ष 2022) की अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। उक्त जमाबन्दी चक 4 बीजेएम के संयुक्त खाता की 5.1844 हैक्टयर कमाण्ड व 2.7566 हैक्टयर अनकमाण्ड (20–10 बीघा कमाण्ड व 10–18 बीघा अनकमाण्ड कुल 31–08 बीघा) भूमि अंकित है। जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है। उक्त जमाबन्दी वर्ष 2022 की है जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि का पुख्ता आवंटन वर्ष 2007 में किया गया है जो कि इससे 15 वर्ष पूर्व का है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमावन्दी के अप्रमाणित होने तथा आवंटन से 15 वर्ष बाद की होने के कारण इस जमावन्दी के आधार पर प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 को किये गये आवंटन के समय उसके धारण की भूमि के संबंध में कोई विनिश्चय लिया जाना विधिसम्मत नहीं है।

(जगदीप कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के धारण की भूमि को किये गये अस्थाई आवंटन की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई आवंटन के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी में स्पष्ट अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम ग्राम बज्जू खालसा में संयुक्त खाते में 15–07 बीघा गैर खातेदारी तथा ग्राम बीठनोक में संयुक्त खाते में 55–15 बीघा गैर खातेदारी कुल 71–02 बीघा पिता के हिस्से में आती है। रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 1 दो भाई व पिता के मौजूद होने से उसके हिस्से में 23–14 बीघा भूमि आनी अंकित करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को 25–00 बीघा भूमि आवंटन का पात्र पाते हुए अप्रार्थी को ग्राम पाबूसर सिन्दुका के खसरा नम्बर 123 की 25–00 बीघा भूमि का अस्थाई आवंटन एक साला संवत 2034 के लिये दिनांक 27–05–1977 को सर्वप्रथम किया गया। जिसका नवीनीकरण संवत 2036 तक होता रहा। संवत 2037 के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी अनुसार आवेदक के हिस्से में 28–13 बीघा भूमि आने के प्रतिवेदन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को 21–00 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया गया। उक्त 21–00 बीघा भूमि का नवीनीकरण संवत 2062 तक निरन्तर होता रहा। प्रश्नगत भूमि के पुख्ता आवंटन के समय प्रस्तुत प्रार्थना के संलग्न दस्तावेजों में भी अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम द्वारा प्रस्तुत भूमि तस्दीक में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री बलवन्ताराम के संयुक्त खाते की चक 4 बीजेएम व 7 बीजेएम की कुल 34–00 बीघा कमाण्ड व 17–00 बीघा अनकमाण्ड गैर खातेदारी भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में 1–00 बीघा कमाण्ड भूमि आनी अंकित की गयी है। इसी प्रकार फॉटोफार्म में भी अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में 1–00 बीघा कमाण्ड तथा 9–00 बीघा बारानी भूमि आने का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा दिया गया है। इसी आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को उसे अस्थाई आवंटित ग्राम पाबूसर सिन्दुका के ख0नं0 123/1 की 21–00 बीघा बारानी भूमि का पुख्ता आवंटन दिनांक 23–03–2007 को किया गया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पुश्तैनी भूमि को छिपाये जाकर भूमि आवंटन करवाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त विवाधक को साबित करने में असफल रहा है।

**3. आया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि पूर्व में उसके पिता के नाम से आवंटित थी जिसे अप्रार्थी संख्या 1 को बालिग पुत्र के रूप में गलत तरीके से आवंटित किये जाने से आवंटन निरस्त योग्य है।**

**—— जिम्मे प्रार्थी**

इस विवाधक को साबित किये जाने का भार प्रार्थी के जिम्मे था। प्रार्थी की ओर अप्रार्थी संख्या 1 रेशमाराम को आवंटित भूमि पूर्व में उसके पिता के नाम से आवंटित थी जिसे अप्रार्थी संख्या 1 को बालिग पुत्र के रूप में गलत तरीके से आवंटित किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा केवल अपने प्रार्थना पत्र में इस संबंध कथन मात्र ही किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अस्थाई आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पर रिपोर्ट पटवारी में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम वर्ष 1976–77 में ग्राम पाबूसर सिन्दुका के ख0नं0 123 में 25–00 बीघा भूमि का अस्थाई आवंटन था जो भूमि अधिक होने के कारण खारिज किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह कहीं भी जाहिर नहीं होता कि अप्रार्थी संख्या 1 श्री रेशमाराम को किया गया उक्त आवंटन बतौर बालिग पुत्र किया गया है। यह सत्य है कि प्रकरण में श्री रेशमाराम को आवंटित भूमि पूर्व में उसके पिता को अस्थाई रूप से आवंटित की गयी थी जो भूमि अधिक होने के कारण खारिज कर दी गई। प्रकरण में श्री रेशमाराम को किया या आवंटन व्यक्तिगत श्रेणी में अस्थाई रूप से

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

आवंटित किया गया है न कि बालिग पुत्र के तौर पर किया गया है। यहां यह भी तथ्य विचारणीय है कि बालिग पुत्र को भूमि का आवंटन किये जाने के प्रावधान राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 13 के अन्तर्गत पिता को अस्थाई तौर पर आवंटित भूमि के पुख्ता आवंटन किये जाने के उपरान्त अधिशेष भूमि को बालिग पुत्र/पुत्रियों को आवंटित किये जाने का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई भूमि का आवंटन Rajasthan colonisation (Temporary Cultivation Leases) Conditions, 1955 के अन्तर्गत किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि बतौर बालिग पुत्र आवंटन न होकर व्यक्तिगत श्रेणी में अस्थाई तौर पर आवंटित की गयी है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त विवाधक को साबित करने में असफल रहा है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत–1 द्वारा Rajasthan Colonisation (Temporary Cultivation Leases) conditions, 1955 की शर्त 7(iii) के अनुसार तत्समय निर्णय लिया जाकर अप्रार्थी को अस्थाई आवंटन किया था। अब 45 वर्ष बाद उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा किये गये अस्थाई आवंटन व आवंटन अधिकारी एसीसी, कोलायत के निर्णय दिनांक 29–09–2007 को अस्थाई से पुख्ता किये हुए आवंटन को 18 वर्ष से अधिक होने पर हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद एवं गुणावगुण के आधार पर निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03–06–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/6/2026

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner